



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू.सी.पी./09/08/2021/एफ.सी.

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
 वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: Ex-post facto approval for diversion of 2.41 ha forest land (Reserve Forest) for Kendriya Vidyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadr, Rishikesh within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun district of Uttarakhand. (Online Proposal no. FP/UK/SCH/40755/2019).

सन्दर्भ:-(i) कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 598/12-1: देहरादून: दिनांक 16.09.2025 (Received online on 23.09.2025).
 (ii) इस कार्यालय द्वारा आयोजित आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 27.11.2025 के उपरांत जारी किए गए कार्यव्रत (copy of MoM of REC meeting is on https://forestsclearance.nic.in/rec_report.aspx).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 27.11.2025 में चर्चा की गई थी जिसमें प्रस्ताव पर लिए गये निर्णय अनुसार आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर जवाब प्रस्तुत करने का कष्ट करें :

1. The DFO shall submit a complete report regarding the status of land previously given to IDPL on lease, and the area handed over by IDPL to the Forest Department.
2. DFO shall submit a statement mentioning that there is no legal issue pending in the Hon'ble Courts for the proposed diversion area.
3. Further, the current status of the areas under encroachment and its eviction, shall also be submitted.

4. A detailed layout plan along with component-wise area calculation of the existing Kendriya Vidyalaya building, and any futuristic plan (if proposed) shall also be submitted.”

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।
भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।